P 994-II/17

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2017

सीताराम आ. श्री शिवनारायण परमार आयु वयस्क
निवासी आष्टा तहसील आष्टा जिला सीहोर म0प्र0।...निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म0प्र0 शासन।...रेस्पाण्डेंट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 01/02/2017 प्रकरण क्रमांक 48 शासन विरूद्ध सीताराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, आष्टा द्वारा पारित किया गया।

प्रकरण जो आहुत किये जाने हैः–

01. प्रकरण क्रमांक 48 दिनांकित 01/02/2017 की संपूर्ण नस्ती।

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता माननीय अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी महोदय, आष्टा जिला सीहोर के न्यायालय द्वारा क्षैत्राधिकार पारित आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता हैः-

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी महोदय आष्टा के समक्ष पटवारी के द्वारा प्रतिवेदन तैयार कर यह तथ्य दिया गया कि कस्बा आष्टा की भूमि खसरा क्रमांक 111/1

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 994–दो/2017 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02–06–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी आष्टा के आदेश दिनांक 01–2–2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा प्रकरण के साथ प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित संलग्न नहीं की है। अतः प्रकरण का निराकण आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेमो के आधार पर किया जा रहा है। आवेदक की निगरानी के पैरा 1 में स्वयं यह अंकित किया है है कि पटवारी के प्रतिवेदन पर कि आवेदक द्वारा बिना भूमि के डायवर्सन के भवन निर्मण कर आवासीय प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है इस पर अनुविभागीय अधिकारी ने बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया है जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी ने अभी मात्र पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है जहां आवेदक को उपस्थित होकर अपना पक्ष एवं दस्तावेज रखना चाहिए। ऐसा न करते हुये उक्त आदेश को इस न्यायालय में चुनौती देना उचित नहीं कहा जा सकता है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	